मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 172 /315/1(3)/75 भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 1975.

प्रति,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति ।

राज्य प्रशासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को कार्यालयों में नियमित रूप से निर्धारित समय पर उपस्थित होने एवं समय का अनुसरण प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यालयों के किसी राजपत्रित अधिकारी को इस कार्य के लिए जिम्मेदार बनाए जाने संबंधी आवश्यक आदेश समय-समय पर प्रसारित किए जाने के बावजूद भी शासकीय कर्मचारियों के कार्यालयों में समय पर उपस्थित न होने के उदाहरण शासन के समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं ।

2/ सचिवालय में कर्मचारियों के समय पर उपस्थित होने के संबंध में यह प्रथा अपनाई गई है कि यदि कोई कर्मचारी माह में 3 दिन देरी से कार्यालय में उपस्थित होता है, तो तीन दिन की देरी के लिए एक दिवस का आकस्मिक-अवकाश काटा जाता है ।

3/ जनहित तथा कार्यालयों में कुशल कार्य संचालन की दृष्टि से समय का अनुसरण बहुत महत्वपूर्ण है । शासकीय कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में समय पर उपस्थित होना तथा समय के पूर्व कार्यालय को न छोड़ना नितान्त आवश्यक है । अतः निवेदन है कि इस ओर पूरा ध्यान देकर कार्यालयों में समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन कराया जाय तथा इस कार्य के लिए जिम्मेदार बनाए गए अधिकारी को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रखी गई उपस्थिति पंजी कार्यालय के लिए निर्धारित कार्यारम्भ के समय के 5 मिनिट पश्चात् प्रस्तुत की जाय और देर से कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सचिवालय की प्रथा जो कंडिका 2 में दर्शाई गई है, अपनाई जाय ।

(आनन्द मोहन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=